न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 59/2018

वादीगण–

1. सुरजाराम पुत्र मूलाराम
   जाति जाट निवासी छाजोली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बरजी देवी पत्नी लादूराम
2. रामकुंवार
3. मनरूपराम
4. हेमाराम पुत्रगण लादूराम
5. गीता पुत्री लादूराम
6. महेन्द्रपाल पुत्र बर्माराम
   जातियान जाट निवासीगण छाजोली, तहसील जायल जिला–नागौर।
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा छाजोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 54 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 92 रकबा 9.[illegible] बीघा, खसरा नंबर 175 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नंबर 257 रकबा 35.07 बीघा, खसरा नंबर 583 रकबा 10.02 बीघा जिनका कुल रकबा 85.09 बीघा रहती चली आई है। इन खेतायों मे से 1/2 हिस्सा वादी का तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का है। इसके अलावा एक खेत खसरा नंबर 72 रकबा 25.11 बीघा का है यह खेत भी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का खातेदारी का है जिसमें से वादी के पिता मूलाराम जी ने अपने जीवन काल मे ही इस खेत में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्रपाल को बैचान कर दिया जो राजस्व जमाबंदी में दर्ज है। इस खेत में से शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का है बैचान कर देने के बाद इस खेत में वादी का कोई हिस्सा नहीं है, क्यों कि इनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को बैचान कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी सुजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 175 रकबा 16.04 बीघा में से 8.02 बीघा उतरी भाग, खसरा नंबर 583 रकबा 10.02 बीघा पूरा, खसरा नंबर 257 रकबा 35.07 बीघा में से 18.11 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 54 रकबा 14.10 बीघा पूरा, खसरा नंबर 92 रकबा 09.06 बीघा पूरा , खेत खसरा नंबर 175 रकबा 16.04 बीघा में से 8.02 बीघा दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 257 रकबा 35.07 बीघा में से 16.16 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है तथा खसरा नंबर 72 रकबा 25.11 बीघा में से 12.15 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्रपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 72 रकबा 25.11 बीघा में से 12.16 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना तामिल सुदा प्राप्त होने के पर भी गैर हाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 का समन्न स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र सुरजाराम पुत्र मूलाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम छाजोली तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 261, 288, 110, प्रदर्श–1, ग्राम छाजोली वर्तमान नया खाता संख्या 382 पेश हुवे, मुलाराम पुत्र लुणाराम बहक महेन्द्रपाल पुत्र ब्रहमाराम के पक्ष में बैचाननामा भी पत्रावली में सलग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। दिनांक 23.09.2021 को प्रतिवादी साक्ष्य के तौर पर प्रतिवादी हेमाराम पुत्र लादूराम, रामकुंवार पुत्र लादूराम, प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्रपाल पुत्र ब्रहाराम के शपथ पत्र पेश हुवे। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण हेमाराम, रामकुवांर, महेन्द्रपाल ने हक बंट की भूमि का जरिये साक्ष्य शपथ पत्र तथा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 23.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण हेमाराम, रामकुंवार, महेन्द्रपाल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 23.09.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण रामकुंवार, हेमाराम, महेन्द्रपाल ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा छाजोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खेत खसरा नं. 583, 54, 92 की भूमि को यथावत एवं खसरा नंबर 175, 257, 72 की भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्से विशेष के रूप में हक बंट जरिये साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा छाजोली के खेत खसरा नंबर 175, 257, 72 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 21.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 21.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2261 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी सुरजाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति की है तथा अन्य प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं हुवे । मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का तथा भू.अभि.निरीक्षक खाटूकलां की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा छाजोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 54 , खेत खसरा नंबर 92 रकबा , खेत खसरा नंबर 175 , खेत खसरा नंबर 257 , खेत खसरा नंबर 583 की भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छाजोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 54 , खेत खसरा नंबर 92 रकबा , खेत खसरा नंबर 175 , खेत खसरा नंबर 257 , खेत खसरा नंबर 583 की भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सुजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 175 में से 1.3112 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 583 रकबा 10.02 बीघा पूरा, खसरा नंबर 257 में से 3.0027 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 54 रकबा 14.10 बीघा पूरा, खसरा नंबर 92 रकबा 09.06 बीघा पूरा , खेत खसरा नंबर 175 में से 1.3112 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 257 में से 2.7195 पूर्वी भाग रखा गया है तथा खसरा नंबर 72 में से 2.0640 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्रपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 72 में से 2.0719 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 59/2018

वादीगण–

1. सुरजाराम पुत्र मूलाराम ,जाति जाट निवासी छाजोली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बरजी देवी पत्नी लादूराम
2. रामकुंवार
3. मनरूपराम
4. हेमाराम पुत्रगण लादूराम
5. गीता पुत्री लादूराम
6. महेन्द्रपाल पुत्र बर्माराम, **जातियान जाट निवासीगण छाजोली, तहसील जायल।**
7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छाजोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 54 , खेत खसरा नंबर 92 रकबा , खेत खसरा नंबर 175 , खेत खसरा नंबर 257 , खेत खसरा नंबर 583 की भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सुजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 175 में से 1.3112 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 583 रकबा 10.02 बीघा पूरा, खसरा नंबर 257 में से 3.0027 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 54 रकबा 14.10 बीघा पूरा, खसरा नंबर 92 रकबा 09.06 बीघा पूरा , खेत खसरा नंबर 175 में से 1.3112 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार , खेत खसरा नंबर 257 में से 2.7195 पूर्वी भाग रखा गया है तथा खसरा नंबर 72 में से 2.0640 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 6 महेन्द्रपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छाजोली का खेत खसरा नंबर 72 में से 2.0719 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)